



प्रारूप नं. 1
मूल्य - 200+ जी.एस.टी.

राजस्थान आवासन मण्डल नियमितीकरण हेतु आवेदन पत्र

आवेदन कर्ता
की सत्यापित
फोटो

श्रीमान लेखाधिकारी (वसूली)

राजस्थान आवासन मण्डल

वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, सांगानेर

क्रमांक : 2018/ 2729

विषय :- आवास संख्या.....योजना प्रताप नगर, जयपुर
शहर जयपुर को मेरे नाम नियमितीकरण करने के सम्बन्ध में।

(A) 1. आवेदक का नाम (अंतिम क्रेता) :जन्मतिथी.....

2. पिता/पति का नाम :

3. क. मकान संख्या (जिसका नियमितीकरण होना है) :

ख. योजना : प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

4. राष्ट्रीयता :

5. पता (पत्र व्यवहार) :

टेलीफोन सं. मो. नं.

ई-मेल आई. डी.

आधार कार्ड नं. पैन कार्ड नं.

(B) मूल आवंटनी/आवंटन से सम्बन्धित सूचनाएं :

मूल आवंटनी का नाम

पिता/पति का नाम

पंजीकरण वर्ष

वर्तमान पता

वरीयता क्रमांक

आवंटन पत्र क्रमांक/दिनांक

कब्जा प्राप्त करने की दिनांक

कब्जा पत्र क्रमांक/दिनांक

प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूँ :-

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. प्रशासनिक शुल्क जमा की रसीद | 2. मूल इकरारनामा | 3. मूल मुख्त्यार नामा |
| 4. मूल वसीयत नामा | 5. मूल आवंटन पत्र | 6. भौतिक कब्जे की मूल प्रति |
| 7. जमा राशि विवरण | 8. शपथ पत्र/वचनबद्धता पत्र | 9. क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र |
| 10. आधार कार्ड | 11. पैन कार्ड की प्रति | 12. अन्य |

क्र.म.श. 2

क्रमांक 2018/ 2729

राजस्थान आवासन मण्डल, रसीद नियमितीकरण आवेदन पत्र

आवास सं..... योजना का नाम प्रताप नगर जयपुर के नियमितीकरण हेतु

श्री/श्रीमती..... पति/पत्नि श्री/श्रीमती.....

.....से आवेदन प्राप्त हुआ जिसके साथ निम्न दस्तावेज प्राप्त हुए :-

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. प्रशासनिक शुल्क जमा की रसीद | 2. मूल इकरारनामा | 3. मूल मुख्त्यार नामा |
| 4. मूल वसीयत नामा | 5. मूल आवंटन पत्र | 6. भौतिक कब्जे की मूल प्रति |
| 7. जमा राशि विवरण | 8. शपथ पत्र/वचनबद्धता पत्र | 9. क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र |
| 10. आधार कार्ड | 11. पैन कार्ड की प्रति | 12. अन्य |

उपरोक्त आवेदन पत्र पंजिका में क्रम सं..... दिनांक..... पर दर्ज कर लिया है।

हस्ताक्षर प्राप्त कर्ता

उक्त आवास श्री/श्रीमती (मूल आवंटी)..... से श्री/श्रीमती.....
 पुत्र/पत्नि से श्री/श्रीमती.....
 ने क्रय किया तथा श्री /श्रीमती..... से श्री/श्रीमती.....
 ने क्रय किया तथा श्री /श्रीमती..... से
 मैंने क्रय कर लिया है अतः उक्त आवास का नियमितीकरण मेरे पक्ष में करने का श्रम करें।

(C) सत्यनिष्ठा क धन :-

- (क) मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा आवास भौतिक रूप से मेरे कब्जे में है।
 (ख) मैंने राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति विनिमय 1970 को पढ, समझ लिया है और इन्हें स्वीकार करता हूँ/करती हूँ।
 (ग) मेरी मृत्यु होने की दशा में मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिकार क्रम में नाम निर्देशक के रूप में नाम निर्देशित करता हूँ/करती हूँ।

क्र.सं.	नाम	आयु	सम्बन्ध
1.			
2.			
3.			

मैं आयु वर्ग के अनुसार शुल्क जमा करवाकर रसीद संलग्न कर रहा हूँ/रही हूँ।

आयु वर्ग के अनुसार प्रशासनिक शुल्क एवं जी.एस.टी. @18%

1.	उच्च आय वर्ग	-	12,000 + 2160 = 14160/-
2.	मध्यम आय वर्ग (ब)	-	9,000 + 1620 = 10620/-
3.	मध्यम आय वर्ग (अ)	-	7,000 + 1260 = 8260/-
4.	अल्प आय वर्ग	-	5,000 + 900 = 5900/-
5.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	-	3,000 + 540 = 3540/-

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :-

नाम :

दिनांक :-

पता :

नोट :- नोटेरी/राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करावें।

(रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी दण्डनायक से सत्यापित करावे)

आवेदन कर्ता
की सत्यापित
फोटो

शपथ -पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
..... आयु निवासी
..... शपथ हलफिया बयान करता हूँ/करती हूँ कि :-

1. यह कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास सं. आवासीय योजना प्रताप नगर शहर जयपुर में आवंटन पत्र संख्या दिनांक द्वारा श्री/श्रीमती को किराया क्रय/नकद भुगतान पद्धति पर आवण्टित किया गया था। इस आवास को दिनांक के इकरारनामा (एग्रीमेन्ट) द्वारा श्री/श्रीमती ने श्री/श्रीमती को विक्रय किया व दिनांक के इकरारनामा द्वारा श्री/श्रीमती ने श्री/श्रीमती को विक्रय किया जिसे दिनांक के इकरारनामा द्वारा मैंने खरीद लिया था।
2. यह कि उक्त आवास के पेटे पंजीकरण राशि से लेकर बोर्ड को देय समस्त राशि का भुगतान का दायित्व मैं अपने उपर लेता हूँ। अगर भविष्य में भी कोई राशि मकान के पेटे बोर्ड द्वारा बाकी निकाली जाती है तो उसका भुगतान करने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूगी।
3. अगर यह पाया जावे कि मैंने कोई तथ्य छिपाया है अथवा बोर्ड को देय समस्त राशियों का भुगतान नहीं हुआ है तो सम्बन्धित आवास का नियमितीकरण निरस्त कर आवास को बोर्ड की अधिशेष सम्पदा मानते हुए उसे नीलाम करने का बोर्ड को अधिकार होगा जो मुझे स्वीकार्य है।
4. यह कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा मकान के विरुद्ध मुझे बताई गई बकाया राशि मण्डल द्वारा निर्धारित अवधि में जमा करवा दूंगा अन्यथा मण्डल को मेरे द्वारा जमा कराया गया प्रशासनिक शुल्क जक्त करने का पूरा अधिकार होगा एवं आवास को मण्डल की अधिशेष सम्पदा मानते हुए नीलाम करने अथवा अन्य व्यक्ति को आवण्टित करने का पूर्ण अधिकार होगा, जो मुझे स्वीकार्य है।

शपथ ग्रहिता

सत्यापन

उपरोक्त सूचना मद सं. 1 से 4 तक पूर्णतः सत्य एवं दुरुस्त है। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरी मदद करें।

शपथ ग्रहिता

साक्षी :-

क्रेता

पता

(रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी प्रामाणिक/प्रथम श्रेणी दण्डनायक से सत्यापित करायें)

आवेदनकर्ता
की सत्यापित
फोटो

वचनबद्धता (अपडरटेकिंग)

मैं पुरु/पुत्री/पत्नी श्री
आयु विवाही
वचन बद्धता करता हूँ/करती हूँ कि :-

1. यह कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास सं. आवासीय योजना प्रताप नगर शहर जयपुर में आवंटन पत्र संख्या दिनांक द्वारा श्री/श्रीमती को किराया क्रय/नकद भुगतान पद्धति पर आवंटित किया गया था। इस आवास को दिनांक के इकरास्नामा (एग्रीमेन्ट) द्वारा श्री/श्रीमती ने श्री/श्रीमती को विक्रय किया व दिनांक के इकरास्नामा द्वारा श्री/श्रीमती ने श्री/श्रीमती को विक्रय किया जिसे दिनांक के इकरास्नामा द्वारा मैंने खरीद लिया था।
2. यह कि मैं उक्त आवास के पेटे समस्त बकाया राशि जमा करवा दूंगा/दूंगी। जिसके सवृत में मूल चालानों/रसीदों की प्रामाणित फोटो प्रतिमा पेश कर दूंगा/दूंगी। जिसका उल्लेख मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र में भी अंकित कर दूंगा/दूंगी तथा बोर्ड को किये गये भुगतान का ब्यौरा मेरे द्वारा प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
3. यह कि मकान के पेटे किराी भी प्रकार की धनराशि जो मेरे द्वारा मण्डल को देय थी अथवा देय होगी और वह शेष रह गई है अथवा रहेगी, तो यह राशि मय ब्याज व शारित जो मण्डल के नियमानुसार देय बनेगी उसके भुगतान का समस्त भार मेरे ऊपर होगा और मैंने जाने पर मैं अविलम्ब बोर्ड में जमा करा दूंगा/दूंगी। इस प्रयोजनार्थ मण्डल को किराी प्रकार की आर्थिक क्षति होगी तो उसके पुनर्भरण की जिम्मेदारी मुझ पर होगी।
4. यह कि राजस्थान आवासन मण्डल की देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं होने की दशा में मेरे नाम से नियमितीकरण करवाने हेतु मूल प्रपत्रों में किराी भी प्रकार की हेरा-फेरी या जालसाजी की दशा में नियमितीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत मेरे नाम से नियमित किये गये आवास के आवण्टन/नियमितीकरण को निरस्त करने का तथा अन्य समस्त विधिक दायित्व मेरा स्वयं का होगा तथा इस आवास को मण्डल की अधिशेष सम्पदा मानते हुए नीलाम करने अथवा अन्य व्यक्ति को आवण्टित करने का राजस्थान आवासन मण्डल को पूर्ण अधिकार होगा, जो मुझे स्वीकार्य है।
5. यह कि राजस्थान आवासन मण्डल के समस्त नियमों को मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा।

हस्ताक्षर क्रेता आवंटी

साक्षी :-

क्रेता

पता

क्षतिपूर्ति बंधक पत्र

आवेदन कर्ता
की सत्यापित
फोटो

क्षतिपूर्ति बंधक पत्र एक लिख देता/देती हूँ मैं.....
पुत्र/पत्नी श्री जाति
आयु नियासी रहने वाला/वाली ने
बेमुकाम

बहक

राजरथान आवासन मंडल जरिये लेखाधिकारी वसूली राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर वृत्त प्रथम, प्रताप नगर, सांगानेर

1. यह कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा मकान नं. योजना प्रताप नगर शहर जयपुर में किराया क्रय/नकद भुगतान पद्धति के अंतर्गत मूल आवंटी श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी श्री के नाम आवंटित किया गया था। आवंटी ने उक्त आवास का कब्जा दिनांक को ले लिया था।
2. यह कि मैंने उक्त आवास को मूल आवंटी से दिनांक को मैंने जरिये इकरारनामा, मुखत्यारनामा द्वि.पक्ष एवं वसीयत द्वारा पूर्ण प्रतिफल राशि देकर खरीद कर लिया है तथा वर्तमान में उक्त आवास पर मेरा स्वयं का व्यक्तिगत रूप से मालिकाना हक है व मैं ही उक्त मकान का काबिज हूँ। (द्वितीय पक्ष)

अथवा

- यह कि उक्त आवास का मूल आवंटी जरिये इकरारनामा, मुखत्यारनामा व वसीयत दिनांक को श्री/श्रीमती को विक्रय कर दिया था तथा द्वितीय पक्ष ने दिनांक को मुझे जरिये इकरारनामा मय वसीयत द्वारा दिनांक को मुझे विक्रय कर दिया था जिसकी पूर्ण प्रतिफल राशि मैंने श्री/श्रीमती (द्वितीय पक्ष) को अदा कर दी है। (तृतीय पक्ष)
3. यह कि उक्त आवास अब कानूनन एवं नियमानुसार राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा मेरे नाम करवाने हेतु मैंने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया है जो विचाराधीन है।
 4. यह कि उक्त मकान चूंकि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा मेरे पक्ष में हस्तान्तरण किये जाने हेतु मैं स्वयं इस क्षतिपूर्ति बंधक पत्र के आधार पर निम्नलिखित शर्तों से पाबन्द रहूँगा/रहूँगी।
- (क) यह कि मैंने राजस्थान आवासन मंडल में उक्त मकान के सम्बन्ध में हस्तान्तरण हेतु जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उन सभी दस्तावेजों पर मूल आवंटी/द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर हैं जो सही व सत्य हैं भविष्य में इसमें यदि किसी प्रकार का विवाद हुआ तो उसके लिये मैं कानूनन हर्जें एवं खर्चे हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

- (ख) यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार हस्तान्तरण किया जाता है तो उसमें प्रयुक्त किए जाने वाली प्रक्रिया के लिए मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पर पाबन्द रहूँगा/रहूँगी।
- (ग) मेरे पक्ष में हस्तान्तरण के पश्चात् मूल आवंटी का आवंटन पत्र निरस्त करने पर मूल आवंटी द्वितीय पक्ष की ओर से कोई ऐतराज नहीं होगा इसके लिये मैं स्वयं अपने आप को कानूनन रूप से मय हर्जे-खर्चे के पाबन्द करता/करती हूँ।
- (घ) यह कि उक्त मकान के संबंध में कोई विवाद झगड़ा नहीं है तथा भौतिक रूप से मेरा स्वयं का कब्जा है ना ही अन्य किसी व्यक्ति को देधान इकरार हस्तान्तरित दान वसीयत रहन भोगलाब किया हुआ है। मेरे पक्ष में हस्तान्तरण के बाद मैं किसी भी प्रकार की अड़चन विवाद होने पर मैं व्यक्तिगत रूप से कानूनन मय हर्जे खर्चे के आवासान मंडल के पक्ष में अपने आपको पाबन्द करता/करती हूँ।
- (ङ) यह कि मेरे पक्ष में उक्त हस्तान्तरण के पश्चात् राजस्थान आवासन मंडल के समस्त नियमों का सुचारु रूप से पालन करूँगा/करूँगी इससे छूक के लिए यदि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा मेरे आवंटन हस्तान्तरण को रद्द किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी तथा इससे राजस्थान आवासन मंडल को होने वाली समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए मैं कानूनन रूप से हर्जे खर्चे के लिए पाबन्द रहूँगा/रहूँगी।

लिहाजा यह क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र मैंने अपनी राजी खुरी अक्ल होशियारी बिना किसी दबाव के बहकावे में तन्दुरुस्ती की हालत में सोच-समझ कर अपनी सूझ-बूझ से राजस्थान आवासन मंडल के पक्ष में निष्पादित कर दिया है जो सही व सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे इति दिनांक

निष्पादनकर्ता

स्थान :

साक्षी-1

साक्षी-2

(प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित)

(1)

शपथ-पत्र

आवेदन कर्ता
की सत्यापित
फोटो

मैं पुत्र/पत्नी श्री सहाय्य बयान
करता हूँ कि—

1. मेरे पास स्वयं या पति/पत्नी के नाम से जयपुर शहर में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा क्रय किये गये इस आवास संख्या प्रताप नगर, सांगानेर के अलावा कोई भी मकान किसी भी वर्ग या श्रेणी का नहीं है। अथवा निम्नांकित आवास भी है—
2. मुझ पर आश्रित किसी भी वयस्क अथवा अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/पुत्री के नाम आवासन मण्डल द्वारा आवंटित कोई भी अन्य मकान किसी भी वर्ग या श्रेणी का नहीं है।
3. मुझे मेरे पति/पत्नी या मुझ पर आश्रित वयस्क अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/पुत्री को स्थानीय निकाय जैसे नगर विकास न्यास, नगर पालिका अथवा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड लीज होल्ड/फ्री होल्ड पर आवंटित नहीं हुआ है।
4. मैंने अथवा मुझ पर आश्रित सदस्यों ने मकान आवंटित करने के लिये इससे पूर्व राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर में पंजीयन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यनिष्ठा

मैं पुत्र/पत्नी श्री जाति.....
निवासी सत्यनिष्ठा से
घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त पैरा 1 से 4 तक में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। वे मेरी जानकारी में
पूर्णतया सत्य हैं। मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यापालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।)

क्र. सं.	चालान बुक सं.	बैंक/काउन्टर में जमा की दिनांक	आवंट. द्वारा भरा जायेगा					कार्यालय उपयोग हेतु				
			किश्त	पेनेल्टी/ ब्याज	लीज	सेवा कर जी.एस.टी.	कुल योग	बैंक का नाम मय ब्रांच का नाम/ काउन्टर नं.	रोकड़ बही/बैंक विवरण सं.	जमा कराने की दिनांक	जमा राशि रुपये	सत्यापन कर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

हस्ताक्षर आवन्टी